FROM No. III

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर (SDO) (नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

सखी खाँ बनाम मूसे खाँ वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवे० 111, 128 RLRAct नं. 76/16 सन् 2016

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/03/16	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री जगदीश गोदारा ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12/04/2016 को पेश हो। [initials]	118 / 15/03/16
12/04/16	प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 27/05/16 को पेश हो। [initials]	
27/05/16	प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश में पधारे हुए है अतः मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 03/08/16 को पेश हो। [initials] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Scanned by CamScanner

क्रमांक

03/08/16 प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण अनु०।
प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता
की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता
ने बताया की प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतो
की सीमाओं का ज्ञान किया जाना आवश्यक है
इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया
जाकर नेयमबन्दी आदेश किया जावे।

अत: प्रार्थी के अधिवक्ता के निवेदन
पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर
तहसीलदार (गिड़ा) को कमिश्नर नियुक्त किया
जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप
स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू.
अभिलेख निरिक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की
पत्थर नेयमबन्दी मौके पर सुल्ह जमाकराकर करें।
पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली
हो, पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर
से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड कलक्टर (SDO)
[illegible]

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

क्रमांक / वाद / 307 दिनांकः– 03 / 08 / 2016

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. सखी खां पुत्र मिसरी खां वगैरा 10 जाति सिन्धी निवासी सुजानियों की ढाणी, केसुम्बला भाटियान तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1. मुसे खां पुत्र अमरे खां वगैरह–23 निवासी सुजानियों की ढाणी, केसुम्बला भाटियान तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या / 76 / 2016

आदेश

मौजा सुजानियों की ढाणी, पटवार मण्डल–केसुम्बला भाटियान, भू–अभिलेख निरीक्षक–सवाउ मूलराज, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 55, 57, 60, 61 रकबा क्रमशः 17.18, 25.02, 00.03, 44.3 बीघा कुल रकबा 87.06 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्की नेखम स्थापित करने हेतु वकील प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है, परन्तु मौके पर नेखम स्थापित नहीं होने से पड़ोसी खातेदारों के साथ हमेशा तनाजा बना रहता है। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया गया। वकील प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा सुजानियों की ढाणी, पटवार मण्डल–केसुम्बला भाटियान के खेत खसरा नम्बर 55, 57, 60, 61 रकबा क्रमशः 17.18, 25.02, 00.03, 44.3 बीघा कुल रकबा 87.06 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्की नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीनी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करें।

(अन्जुम ताहिर सम्मा)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु सत्यमेव जयते

क्रमांक / वाद / 307 to 312 दिनांकः– 03 / 08 / 2016

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का केसूम्बला भाटियान।
3. प्रार्थी सखी खां वगैरा।
4. विप्रार्थी मुसे खां वगैरह।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Scanned by CamScanner